



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 377 राँची, सोमवार,

3 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

20 मई, 2023

संख्या-1/आरोप-506/2023 का.- 2917--एक छोटा सा वायरल विडियो क्लिप में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एक लोक सेवक द्वारा तथाकथित आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित आरोप एवं इससे जुड़े सभी मामलों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकार के राज्यादेश संख्या-1494 दिनांक 13.03.2023 द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया है ।

उक्त गठित एक सदस्यीय जाँच आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री विनोद कुमार गुप्ता को निम्नांकित सुविधाएँ देय होगी :-

- (क) आयोग के अध्यक्ष को रु0 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
- (ख) अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ देय होगी ।

- (ग) खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश संख्या-325 दिनांक 01.03.2023 द्वारा गठित एक सदस्यीय SIT (Special Investigation Team) को उपलब्ध कराये गए आयोग के सचिव, सहायक, एक आदेशपाल, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं वाहन की सुविधा इस जाँच आयोग के लिए उपलब्ध होगी ।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।
